



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032026-270728  
CG-DL-E-07032026-270728

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1136]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2026/फाल्गुन 15, 1947

No. 1136]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2026/PHALGUNA 15, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2026

**का.आ. 1188(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2828(अ) दिनांक 24 जून, 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के कलिम्पोंग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 717ए के रेशी सीमा पर रेशी पुल के शीर्ष छोर तक के निर्माण ( चौड़ीकरण / पेव्डशोल्डर सहित 2-लेन /4-लेन का बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के दिनांक 5 जुलाई, 2025 को "द टेलीग्राफ" और "हिमालय दर्पण" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत कोई भी व्यक्ति से कुछ भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के मौजा पेडोंग खासमहल ( जे.एल.नं. -006) ब्लॉक / तहसील - कलिम्पोंग - II (अलगरा) पी एस - कलिम्पोंग, जिला - कलिम्पोंग के एनएच-717ए के रेशी सीमा पर रेशी पुल के शीर्ष छोर पर मौजूदा कैरिजवे को पेड शोल्डर सहित 2-लेन के निर्माण व चौड़ीकरण करने और उन्नत करने के लिए एनएच-717ए पर अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल			जिले का नाम: कलिम्पोंग		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कलिम्पोंग -II					
गांव का नाम: पेडोंग खासमहल (जे.एल.नं. -006)					
1	2265	सरकारी	खोला	0.0323756	पश्चिम बंगाल सरकार
2	2266	सरकारी	खोला	0.1133144	पश्चिम बंगाल सरकार
3	2275	सरकारी	बाजो	0.0607042	पश्चिम बंगाल सरकार
<b>Total</b>				<b>0.2063942</b>	

[फा. सं. NHIDCL/BO-SKM/Bagrakote-Kafer/2019-20/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2026

**S.O. 1188(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O.2828(E) Dated: 24th June, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-717A in the stretch of land at head end of Reshi Bridge at Reshi Border in the district of Kalimpong in the state of WEST BENGAL.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Telegraph” and “Himalaya Darpan” both dated 5th July, 2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has not received any objections under Section 3-C, from any person;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

**Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in NH-717A for Widening And Up-Grading of Existing Carriageway in to 2L+PS Configuration at head end of Reshi Bridge at Reshi Border Along NH-717A of Mouza: Pedong Khasmahal ( J.L.No.-006), Block/ Tehsil-Kalimpong-II (Algarah), PS- Kalimpong, Dist- Kalimpong in the State of West Bengal.**

State: WEST BENGAL			District: Kalimpong		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Kalimpong -II</b>					
<b>Village: Pedong Khasmahal ( J.L. No. -006)</b>					
1	2265	Government	Khola	0.0323756	Government of West Bengal
2	2266	Government	Khola	0.1133144	Government of West Bengal
3	2275	Government	Bazo	0.0607042	Government of West Bengal
<b>Total</b>				<b>0.2063942</b>	

[F. No. NHIDCL/BO-SKM/Bagrakote-Kafer/2019-20/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director